बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री झुन्नु मल्लिक (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–177/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरनहिया, शिवहर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक–157 दिनांक–01.04.2025 द्वारा ज0वि0प्र0 विक्रेता द्वारा की गई शिकायत एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दायर वाद संख्या–95/2024 के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाये जाने, अनुकम्पा आधारित ज0वि0प्र0 दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक से आवेदन जाँच के क्रम में NR रशीद के नाम पर 22,000/– रूपये की राशि लिये जाने और इस संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के संतोषजनक नहीं पाये जाने, विभागीय सचिव द्वारा दिनांक–09.09.2024 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में आपूर्ति निरीक्षक के Login से लगभग 5,000 लाभुकों द्वारा की गई e-KYC को भूलवश अस्वीकृत किये जाने के लिए आरोप पत्र गठित करने हेतु आदेशित किये जाने, पूर्व निर्धारित बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए दिनांक–14.10.2024 का वेतन स्थगित किये जाने एवं इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, राशन कार्ड से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदन के निष्पादन में बरती जा रही अनियमितता के संबंध में माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, माह दिसम्बर, 2024 की उपस्थिति विवरणी के अनुसार कुल–12 दिन अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने तथा इस निमित माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने, नये राशन कार्ड निर्गत हेतु अनुशंसित आवेदनों में से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा Randomly जाँच में गंभीर अनियमितता पाये जाने और इस संबंध में दिनांक–22.02.2025 को पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने के साथ आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल होने जैसे प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के लिए उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में श्री मल्लिक से लिखित बचाव बयान की माँग की गयी। श्री मल्लिक द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–838 दिनांक–30.05.2025 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया।

संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–6102 दिनांक–01.12.2025 द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराते हुए श्री मल्लिक के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल–08 आरोपों में से आरोप संख्या–01, 02 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या–05, 06, 07 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या–03, 04, 08 को पूर्ण रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों यथा–आरोप संख्या–03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 के आलोक में विभागीय पत्रांक–1059 दिनांक–26.02.2026 द्वारा श्री मल्लिक से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी।

उक्त के क्रम मे श्री मल्लिक द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री मल्लिक का कहना है कि User Id एवं Password कार्यपालक सहायक के पास रहने के कारण e-KYC पुरनहिया लॉग इन से 5000/–(पाँच हजार) लाभुकों द्वारा किया गया e-KYC भूलवश अस्वीकृत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि User Id एवं Password संबंधित पदाधिकारी की गोपनीय सूचना होती है तथा इसकी गोपनीयता की जिम्मेवारी संबंधित व्यक्ति/पदाधिकारी की होती है। इनके द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में ऐसी गोपनीय सूचना अपने कार्यपालक सहायक को दिया गया, जिससे परिलक्षित है कि वे बेहद असंवेदनशील तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के कर्मी हैं। इतने बड़े पैमाने पर लाभुकों का डाटा अस्वीकृत किया जाना तथा इसे भूलवश कहा जाना कदापि मान्य नहीं है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में इनका कहना है कि उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर को सूचित किया गया था, परन्तु इस संदर्भ में इनके द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। साक्ष्य के अभाव में इनका खंडन स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही, स्वेच्छानुसार उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं समर्पित किये जाने के संबंध में इनके द्वारा न तो इसका खंडन किया गया है और न ही अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। राशन कार्ड से संबंधित पत्र/आवेदनों के निष्पादन में बरती जा रही अनियमितता के संदर्भ में इनका कहना है कि इस संबंध

में उनसे स्पष्टीकरण की माँग नहीं की गयी है, जबकि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमंडल कार्यालय, शिवहर के ज्ञापांक–976 दिनांक–15.11.2024 द्वारा श्री मल्लिक से उक्त आरोप के संदर्भ में स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। अपने कार्यालय से 12 दिन अनुपस्थित रहने के संदर्भ में यह तर्क देना कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण वे अनुपस्थित थे, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार विधिवत् प्रतिनियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा पृथक आदेश निर्गत किया जाता है, से संबंधित कोई आदेश की प्रति साक्ष्य के रूप में समर्पित नहीं किया गया है। राशन कार्ड निर्गमण हेतु अनुशंसित आवेदन पत्रों में से यादृच्छिक रूप से किये गये जाँच में पायी गई अनियमितता के आलोक में इनसे पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिये जाने के संबंध में इनके द्वारा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा इसका खंडन किया गया है। जहाँ तक जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मुकेश कुमार के गोदाम पर दिनांक–17.02.2025 को रात्रि 08.00 बजे पहुँचकर बिना अनुमति (दूकान संचालन अवधि के बाद) के गोदाम की जाँच किये जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में इनका कहना है कि उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सम्बद्ध क्षेत्र से बार–बार सरकारी खाद्यान्न का कालाबाजारी की शिकायत उन्हें प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में उनके द्वारा उक्त तिथि को रात्रि 8:00 बजे जाँच की गयी। यदि इन्हें उक्त संबंध में बार–बार शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो इस आशय से लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी या अन्य सक्षम प्राधिकार को सूचित किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर बिना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किये रात्रि में गोदाम की जाँच की गई। इनका यह आचरण दोषयुक्त कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। फलतः साक्ष्य के अभाव में श्री मल्लिक के विरूद्ध प्रतिवेदित 06 आरोप प्रमाणित होता है तथा इनके द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री झुन्नु मल्लिक (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–177/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरनहिया, शिवहर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(VI) के तहत 02 (दो) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड के आलोक में श्री झुन्नु मल्लिक (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–177/2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरनहिया, शिवहर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(VI) के तहत 02 (दो) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित एवं अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त कर प्रस्तुत अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

श्री मल्लिक को निलंबन अवधि का अनुमान्य निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(शिवहर)–03/2025– 3018 /खाद्य, पटना/दिनांक– 11/06/2026

प्रतिलिपि–

1. जिला पदाधिकारी, शिवहर/संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच), मगध प्रमंडल, गयाजी–सह–संचालन पदाधिकारी/उप निदेशक (खाद्य), प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गयाजी/जिला कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, शिवहर/अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर/अवर सचिव, प्रशाखा–03/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री झुन्नु मल्लिक (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–177/2024), आपूर्ति निरीक्षक (मोबाइल सं0–7209632384, Email : malickjhunu9@gmail.com), उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गयाजी को निदेशित किया जाता है कि निलंबन मुक्ति के पश्चात् खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव।